



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001

दूरभाष क्र. –0771.4073568 फ़ैक्स: 4073553

www.cserc.gov.in, e-mail: cserc.sec.cg@nic.in



प्रेस-विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण कम्पनी एवं राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों का निर्धारण

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी ने वर्ष 2021-22 हेतु ₹.538.04 करोड़ राजस्व घाटे की मांग की है जिसे आयोग ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी ने विगत वर्षों के ₹.38.22 करोड़ के राजस्व घाटे की मांग की थी परंतु आयोग ने इसके स्थान पर ₹.51.24 करोड़ राजस्व घाटे का अनुमोदन किया है। वर्ष 2021-22 के घाटे और वर्ष 2023-24 के लिए बिजली की अनुमानित बिक्री पर प्रचलित टैरिफ से अनुमानित राजस्व के आधार पर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने ₹.2950.54 करोड़ राजस्व घाटे का दावा किया है। संपूर्ण विश्लेषण के उपरान्त आयोग ने ₹.2950.54 करोड़ के घाटे के स्थान पर ₹.2924.53 करोड़ को ही मान्य किया है।

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा मांग की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता ₹.15581.14 करोड़ के स्थान पर ₹.17228.31 करोड़ मान्य किया गया है। उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयोग द्वारा आकलित औसत विद्युत लागत दर ₹.6.58/- निर्धारित होती है। प्रचलित दरों के आधार पर वर्ष 2023-24 की आकलित औसत विद्युत बिलिंग दर ₹.6.21/- होती है। आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में लिए गए निर्णयों से औसत विद्युत बिलिंग दर ₹.6.34/- अनुमानित है जो कि वर्तमान प्रचलित दर से 13 पैसे अधिक है।

वर्तमान आदेश के मुख्य बिन्दु :-

- किसी भी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
- उच्च दाब उद्योगों के विद्युत प्रदाय वोल्टेज के अनुसार लागू दरों में अंतर को ध्यान में रखते हुए, 220 kV एवं 132 kV के उच्च दाब स्टील उद्योगों के दरों को युक्तिसंगत किया गया है।
- HV-5 एवं LV-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है।
- राज्य की विद्युत वितरण कंपनी की कार्य कुशलता, बिलिंग दक्षता में वृद्धि करने हेतु आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में समुचित निर्देश जारी किए गए हैं।
- जारी की जा रही नई विद्युत दरें जो कि संलग्नक-1 और संलग्नक-2 में उपलब्ध हैं, 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावशील होंगी।

कृषि एवं कृषि संबंधी उपभोक्ता

- गैर सबसिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी।

- किसानों को खेतों में लगे विद्युत पम्पों और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पम्प कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पम्प के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाईट एवं पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रदाय करने वाली संस्था

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 7 प्रतिशत की छूट को घटाकर 5 प्रतिशत की गई है।

गैर घरेलू उपभोक्ता

- पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग इकाईयों (Electrical Transport system) हेतु इलेक्ट्रीकल व्हीकल चार्जिंग की विद्यमान टैरिफ रु.5/- प्रति यूनिट जारी रखा गया है।
- महिला सशक्तिकरण हेतु पंजीकृत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा संचालित कृषि एवं संबंधित गतिविधियों और व्यवसायिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार में 10 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है।
- राज्य के नक्सलवाद प्रभावित दूरस्थ जिलों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ कर मोबाईल संपर्क की सुविधा को विस्तारित करने के लिए नये मोबाईल टॉवर की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 01.04.2019 के पश्चात् लगने वाले मोबाईल टॉवर के ऊर्जा प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट को जारी रखी गई है।

निम्नदाब उद्योग

- निम्न दाब पर विद्युत प्राप्त करने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिलों को प्रचलित ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखी गई है।

उच्चदाब उपभोक्ता

- रक्षा स्थापना (डिफेंस स्टेब्लिसमेंट) को ऊर्जा प्रभार में 15 प्रतिशत की रियायत जारी रखी गई है।
- उच्च दाब पर विद्युत प्राप्त करने वाले राईस मिलों, पोहा एवं मुरमुरा मिलों को प्रचलित ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है।
- 33 के.वी. तक के उच्च दाब पर विद्युत प्राप्त करने वाले स्वतंत्र लघु ऑक्सिजन संयंत्र को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 10 प्रतिशत की छूट को वर्तमान आदेश में समाप्त कर दिया गया है।
- सभी उच्चदाब स्टील उपभोक्ता श्रेणी को वर्तमान में दी जाने वाली लोड फेक्टर इंसेंटिव को जारी रखा गया है।
- राज्य के बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में संचालित स्टील उद्योगों हेतु प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 7 प्रतिशत की छूट को घटाकर 5 प्रतिशत की गई है।
- ऑफपीक अवधि की टीओडी की दरों को सामान्य अवधि हेतु तय दरों के 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है।

संलग्नक-1					
fuFu nkc mi HkkDrk vka grq i pfyr .oa o"kl 2023&24 grq vka kx }kjk vupkfnr VVjQ					
orëku njsa %o"kl 2022&23%			ubl njsa %o"kl 2023&24%		
mi HkkDrk Jskh		fLFkj i Hkkj	Åtkl nj	fLFkj i Hkkj	Åtkl nj
LV - 1 ?kjsya mi HkkDrk , oa chih , y mi HkkDrk	oxl	: i ; s	: i ; s ifn : fuV	: i ; s	: i ; s ifn : fuV
LV-1	0&100	रु. 20/- प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए;	3.70	रु. 20/- प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए;	3.70
	101&200	रु. 30/- प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. से 10 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए;	3.90	रु. 30/- प्रति कि.वा. प्रति माह 5 कि.वा. से 10 कि.वा. तक के सम्बद्ध भार के लिए;	3.90
	201&400	रु. 40/- प्रति कि.वा. प्रति माह 10 कि.वा. से अधिक के सम्बद्ध भार के लिए	5.30	रु. 40/- प्रति कि.वा. प्रति माह 10 कि.वा. से अधिक के सम्बद्ध भार के लिए	5.30
	401&600		6.30		6.30
	601 , oa ml l s vf/kd		7.90		7.90
LV - 2 xj ?kjsya mi HkkDrk	oxl	ekax i Hkkj	Åtkl nj	ekax i Hkkj	Åtkl nj
LV-2.1 xj ?kjsya mi HkkDrk	0&100	रु. 50 प्रति कि.वा. प्रति माह (5 कि.वा. तक) सिंगल फेस	5.85	रु. 50 प्रति कि.वा. प्रति माह (5 कि.वा. तक) सिंगल फेस	5.85
	101&400		6.85		6.85
	401 , oa ml l s vf/kd		8.25		8.25
LV-2.2 xj ?kjsya mi HkkDrk	0&400	रु.120 प्रति कि.वा. प्रति माह (15 कि.वा. तक) थ्री फेस बिलिंग डिमांड पर	6.85	रु.120 प्रति कि.वा. प्रति माह (15 कि.वा. तक) थ्री फेस बिलिंग डिमांड पर	6.85
	401 , oa ml l s vf/kd		8.25		8.25
		ekax vk/kkfjr	रु.200 प्रति कि.वा. प्रति माह (15 कि.वा. से अधिक) थ्री फेस बिलिंग डिमांड पर	7.55	रु.200 प्रति कि.वा. प्रति माह (15 कि.वा. से अधिक) थ्री फेस बिलिंग डिमांड पर
LV-3 df"k mi HkkDrk	-	रु.100 प्रति एच.पी. प्रति माह	5.05	रु.100 प्रति एच.पी. प्रति माह	5.05
LV - 4 fuEunkc df"k l cax/kh vU; dk; l	oxl	ekax i Hkkj	Åtkl nj	ekax i Hkkj	Åtkl nj
LV-4.1 %kx df"k l cax/kh vU; dk; l 25 , p-i-h- rd	df"k l cax/kh vU; dk; l 25 , p-i-h- rd	रु.100 प्रति एच.पी. प्रति माह या रु. 134 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.05	रु.100 प्रति एच.पी. प्रति माह या रु. 134 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.05
LV-4.1 %kx df"k l cax/kh vU; dk; l 25 , p-i-h- l s vf/kd 150 , p-150 , p-i-h- rd	df"k l cax/kh vU; dk; l 25 , p-i-h- l s vf/kd 150 , p-150 , p-i-h- rd	रु.110 प्रति एच.पी. प्रति माह या रु. 147 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.45	रु.110 प्रति एच.पी. प्रति माह या रु. 147 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.45
LV-4.2 df"k l cax/kh vU; dk; l ekax vk/kkfjr	df"k l cax/kh vU; dk; l ekax vk/kkfjr 15 fd-ok- l s 112-5 fd-ok- rd	रु.200 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.65	रु.200 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.65
LV - 5 fuEunkc vks} kfxd mi HkkDrk	oxl	ekax i Hkkj	Åtkl nj	ekax i Hkkj	Åtkl nj
LV-5.1 vks} kfxd mi HkkDrk	25 , p-i-h- %18-7 fdykokM% rd %vU; vks} kfxd%	रु. 80 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	4.15	रु. 80 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	4.15
l jxqt k , oa cLrj i kf/kcdj . k ea vkus okys (k= grq	25 , p-i-h- %18-7 fdykokM% rd %vU; vks} kfxd%	रु. 80 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	3.75	रु. 80 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	3.75
LV-5.2 vU; m } kx					
LV-5.2.1 vks} kfxd mi HkkDrk	25 , p-i-h- %18-7 fdykokM% rd %vU; vks} kfxd%	रु. 120 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.15	रु. 120 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.15
l jxqt k , oa cLrj i kf/kcdj . k ea vkus okys (k= grq	25 , p-i-h- %18-7 fdykokM% rd %vU; vks} kfxd%	रु. 100 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	4.15	रु. 100 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	4.15
LV-5.2.2 vks} kfxd mi HkkDrk	25 , p-i-h- l s vf/kd 150 , p-i-h- %18-7 fdykokM% l s 112-5 fdykokM% rd %vU; vks} kfxd%	रु.150 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.90	रु.150 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.90
l jxqt k , oa cLrj i kf/kcdj . k ea vkus okys (k= grq	25 , p-i-h- l s vf/kd 150 , p-i-h- %18-7 fdykokM% l s 112-5 fdykokM% rd %vU; vks} kfxd%	रु.130 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.40	रु.130 प्रति कि.वा. प्रति माह (बिलिंग डिमाण्ड पर)	5.40
LV-6 l koitfud mi ; kx %ty i nk; , oa l Md cRrh%	-	रु.142 प्रति एच.पी. प्रति माह अथवा रु. 190 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.25	रु.142 प्रति एच.पी. प्रति माह अथवा रु. 190 प्रति कि.वा. प्रति माह	6.25
LV-7 l ipuk i kS} kfxdch	l ipuk i kS} kfxdch} fu: kR- vk/kkfjr VDI Vkbj m } kx	रु. 150 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.15	रु. 150 प्रति कि.वा. प्रति माह	5.15

mPp nkc mi HkkDrkvka grq i pfyr , oa o"kl 2023&24 grq vk: ksx }kjk vuqkfnr V\$j.Q

		orZeku nj ¼o"kl 2022&23½		ubZ nj ¼o"kl 2023&24½	
mi HkkDrk Js kh		ekx i Hkkj ¼: i ; sifr dsh, ifr ekg½	ÅtkZ i Hkkj ¼: i ; sifr kVAh½	ekx i Hkkj ¼: i ; sifr dsh, ifr ekg½	ÅtkZ i Hkkj ¼: i ; sifr kVAh½
HV-1	Railway Traction on 132 kV/220 kV	375	4.55	375	4.55
HV-2	Mines				
	220 KV	500	6.75	500	6.75
	132 KV	500	6.90	500	6.90
	33 KV	500	7.15	500	7.15
	11 KV	500	7.45	500	7.45
HV-3	Other Industry & General Purpose Non-Industrial				
	220 KV	375	6.45	375	6.45
	132 KV	375	6.60	375	6.60
	33 KV (Load factor>15%)	375	6.85	375	6.85
	33 KV (Load factor<=15%)	190	7.05	190	7.05
	11 KV (Load factor>15%)	375	7.25	375	7.25
	11 KV (Load factor<=15%)	190	7.45	190	7.45
HV-4	Steel Industries				
	220 KV	375	5.45	375	5.70
	132 KV	375	5.60	375	5.85
	33 KV (Load factor>15%)	375	6.10	375	6.10
	33 KV (Load factor<=15%)	190	6.60	190	6.60
	11 KV (Load factor>15%)	375	6.20	375	6.20
	11 KV (Load factor<=15%)	190	7.00	190	7.00
HV-5	Irrigation, Agriculture, Allied Activities & Public water Works	375	5.85	375	5.85
HV-6	Residential	375	6.05	375	6.05
HV-7	Start up Power Tariff 400/220/132/33/11 kV	200	8.35	200	8.35
HV-8	Industries related to manufacturing of equipment for power generation from renewable energy sources 220/132/33/11 kV	130	4.15	130	4.15
HV-9	Information Technology Industries and export oriented Textile Industries	150.00	4.25	150	4.25